कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, उत्तरकाशी

E.Mail. eepduki.pwduk@gov.in Fax No-01374-222108 Tel.No- 01374-222108

पत्रांक 3532/व0का0 दिनांक 22/12/2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
उत्तरकाशी वन प्रभाग कोटबंगला,
उत्तरकाशी।

विषय :— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी मे डुण्डा–धनारी–सेम–मुखेम मोटर मार्ग का पटूड़ी से आगे सेम नागराजा मन्दिर तक मोटर मार्ग का विस्तार कार्य (लम्बाई 10.00 किमी0)।

महोदय,

उपरोक्त विषयक क्रम में वनभूमि हस्तान्तरण हेतु ऑनलाइन किये गये प्रस्ताव पर लगाई गयी ऑनलाइन आपत्तियों (EDS दिनांक 14–09–2020) का निराकरण निम्न प्रकार है।

क्र0 सं0	Online EDS / आपत्तियां	आपत्तियों का बिन्दुवार किया गया निराकरण / प्रत्युत्तर
1	2	3
1	मोटर मार्ग के समरेखण मे मार्किंग पिल्लर्स नही लगाये गये हैं, जिससे मोटर मार्ग के समरेखण का पता नही चल पा रहा है। अतः मार्किंग पिल्लर्स लगये जाने अति आवश्यक हैं।	इस समरेखण मे पूर्व मे (वर्ष 2013) मे मार्किंग पिल्लर्स लगाये गये थे किन्तु काफी समय व्यतीत होने जाने के कारण स्थल झाड़ियां उग आई हैं, जिस कारण कुछ पिल्लर्स नही दिखाई दे रहे हैं, व कुछ पिल्लर्स क्षतिग्रस्त हो चुके हैं। किन्तु वर्ष 2013 मे निर्मित पिल्लर्स के आधार पर ही वृक्षों की गणना हुई है। कुछ स्थान जहां पर पिल्लर्स क्षतिग्रस्त हुए हैं, उन स्थानों पर पेंट द्वारा मार्किंग कर दी गयी है।
2	वैकल्पिक समरेखण (Alternate alignment) मे आने वाले वृक्षों एवं भूमि का विवरण प्रस्ताव मे सम्मिलित नही किया गया है। इसलिए इसे सम्मिलित किया जाना अनिवार्य होगा।	वैकल्पिक समरेखण तकनीकी तौर पर उचित न होने के कारण इस पर मोटर मार्ग का प्रस्ताव स्वीकृत नही है, जिस हेतु इस समरेखण पर वृक्षों की गणना उचित नही है। इस समरेखण हेतु भू–वैज्ञानिक द्वारा भी सहमति नही दी गयी है। विभाग द्वारा अन्य वैकल्पिक समरेखण पर भी विचार किया गया था, किन्तु प्रारम्भ के 5 किमी0 मे ही वन विभाग के साथ संयुक्त निरीक्षण मे बांज, बुरांश के लगभग 1352 व चीड़ के 1765 वृक्ष आ रहे हैं जबकि जो कि प्रस्तावित समरेखण मे आ रहे बांज, बुरांश (972) व चीड़ (718) से अधिक है। अतः भू–वैज्ञानिक की आख्या व वनभूमि व वन सम्पदा की अधिक क्षति को देखते हुए वैकल्पिक समरेखण पर विचार नही किया गया है।

3	प्रस्ताव मे संधारित किये गये मक डम्पिंग प्लान का अवलोकन करने पर देखा गया कि परियोजना मे उपयोग मे लाये जाने वाले मलबे की मात्रा 50 प्रतिशत दिखायी गयी है, जो कि वास्तव मे सम्भव प्रतीत नही होता है। इसलिये उक्त परियोजना हेतु नया मक डिस्पोजल प्लान तैयार कर प्रस्ताव मे संधारित किया जाना अनिवार्य है।	बिन्दु संख्या– 3 को स्थल पर दिये गये निर्देशों के अनुसार संशोधित कर ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है।

अतः उपरोक्तानुसार आपत्तियों का निराकरण कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अपने स्तर से आवश्यक आपत्तियों का निराकरण करते हुए प्रस्ताव पर अग्रिम कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0,
उत्तरकाशी।

"दो गज की दूरी मास्क है जरूरी"